झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2021

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2021

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य में विद्युत की उत्पादन, विक्रय, वितरण तथा उपभोग पर हरित ऊर्जा उपकर लगाने हेतु विधेयक।

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य में अक्षय ऊर्जा श्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने और झारखण्ड राज्य में पारंपरिक श्रोतों से बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों एवं कैप्टिव उत्पादन संयत्र द्वारा बिजली की बिक्री एवं वितरण लाईसेंसी द्वारा 33 के.वी. और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर विद्युत परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं पर हरित ऊर्जा उपकर लगाकर विद्युत आपूर्ति में सुधार एवं विकास के लिए एक विधेयक प्रस्तावित है।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. परिभाषाएं -

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "उपकर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन हरित ऊर्जा उपकर;

(ख) "संग्रहकर्ता" अथवा "निरीक्षक" से ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन कर संग्रहण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(ग) "कैप्टिव उत्पादन संयत्र" से अभिप्राय है कि ऐसे ऊर्जा संयत्र जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उपधारा (8) के अंतर्गत परिभाषित है;

(घ) "यूनिट" अर्थात् एक घंटे में एक किलोवाट उपभोग या उत्पादित की गई विद्युत ऊर्जा अभिप्रेत है;

(ङ) "निधि" से अधिनियम की धारा 6 के द्वारा स्थापित हरित ऊर्जा निधि अभिप्रेत है;

(च) "उत्पादन कम्पनी" से अभिप्राय है कोई भी कंपनी अथवा कॉर्पोरेट संस्थान अथवा संगठन अथवा व्यक्तियों का समूह या कोई व्यक्ति या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करके एक उत्पादन इकाई या अतिरिक्त उत्पादन इकाई का मालिक है या संचालन करता है;

(छ) "अपीलीय प्राधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) "राज्य सरकार" से झारखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(झ) इस अधिनियम में उपयोग किए गए अपरिभाषित शब्द तथा भाव झारखण्ड विद्युत शुल्क अधिनियम में परिभाषित शब्द और भाव होंगे।

3. हरित ऊर्जा उपकर का अधिरोपण एवं संग्रहण

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के तहत हरित ऊर्जा उपकर के रूप में उपकर भारित एवं संग्रहित किया जाएगा।

(2) ऊर्जा उत्पादन सयंत्र के लिए:-

झारखण्ड राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थित पांरपरिक स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाले इकाईयों, झारखण्ड राज्य के वितरण लाईसैंसधारियों अथवा झारखण्ड राज्य के उपभोक्ताओं को, अथवा स्वंय के द्वारा अथवा स्वंय के कर्मचारियों के द्वारा निर्धारित अवधि में बेची गई अथवा आपूर्ति की गई अथवा उपभोग की कुल विद्युत ऊर्जा पर, निर्धारित समय पर निदिष्ट तरीके से प्रत्येक विद्युत इकाई पर हरित ऊर्जा उपकर भारित किया जाएगा, जो राज्य सरकार को देय होगा। इस धारा के अधीन भारित हरित ऊर्जा उपकर विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा देय होगा।

(3) 33 के०भी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे विद्युत उपभोक्ताओं के लिए:-

33 के०भी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली पर हरित ऊर्जा उपकर लगाया जाएगा। उक्त उपकर की राशि, वितरण लाईसैंसधारियों द्वारा एकत्र कर राज्य सरकार के हरित ऊर्जा नीधि में जमा की जाएगी। इस धारा के अधीन भारित हरित ऊर्जा उपकर वितरण लाईसैंसधारियों द्वारा देय होगा।

(4) कैप्टिव ऊर्जा उत्पादन संयत्र के लिए:-

झारखण्ड राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थित कैप्टिव उत्पादन संयत्र के मालिक अथवा संचालक द्वारा झारखण्ड राज्य में स्थित वितरण लाईसैंसधारी अथवा उपभोक्ताओं अथवा स्वंय के कर्मचारियों को बेची गई अथवा आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा के प्रत्येक इकाई पर राज्य सरकार को निर्धारित समय पर एवं यथानिर्दिष्ट तरीके हरित ऊर्जा उपकर देय होगा। इस धारा के अधीन भारित उपकर कैप्टिव उत्पादन संयत्र द्वारा राज्य सरकार को देय होगा।

परन्तु कैप्टिव उत्पादन संयत्र के द्वारा अथवा संचालक अथवा मालिक के द्वारा विद्युत ऊर्जा के स्वयं के खपत पर हरित ऊर्जा उपकर नहीं लगेगा।

(5) विद्युत उत्पादन इकाईयों या कैप्टिव उत्पादन संयत्र द्वारा वैसे संस्थान, जिसमें झारखण्ड सरकार का इक्यावन प्रतिशत (51%) या उससे अधिक हिस्सेदारी है, को बेची जाने वाली विद्युत ऊर्जा अथवा आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा पर हरित ऊर्जा उपकर नहीं देय होगा।

परन्तु विद्युत उत्पादन इकाईयों, जिसमें झारखण्ड सरकार का इक्यावन प्रतिशत (51%) या उससे अधिक हिस्सेदारी है, के द्वारा स्वंय या स्वंय कर्मचारियों को विद्युत ऊर्जा विक्रय अथवा आपूर्ति अथवा उपभोग करने पर, हरित ऊर्जा उपकर नहीं देय होगा।

(6) इस धारा की उप-धारा(1) में वर्णित ऐसा उपकर, उपधारा (2), (3) एवं (4) में विहित विद्युत ऊर्जा की बिक्री या आपूर्ति पर प्रति यूनिट पर पंद्रह पैसे तक की दर से भारित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार, समय-समय पर यह दर अधिसूचना के माध्यम से किया जा सकेगा।

4. पंजीकरणः

(1) विद्युत उत्पादन कंपनी और कैप्टिव उत्पादन संयत्र, जो राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है और जो राज्य में स्थित वितरण लाईसेंसधारी या उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करती है अथवा बेचती है, या ऐसे विद्युत वितरण लाईसेंसधारी जो 33 के.वी. या उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे, उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा विक्रय अथवा आपूर्ति कर रही है, उन्हें हरित ऊर्जा के संग्रहकर्ता या निरीक्षक से पंजीकरण करवाना होगा।

(2) पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र एवं निर्धारित समयावधि में आवेदन करना होगा।

(3) धारा 4 उपधारा 2 के अंतगर्त पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के पश्चात संग्रहकर्ता(कलेक्टर) या निरीक्षक अपने संतुष्टि पर निर्दिष्ट प्रपत्र में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगे।

5. प्राप्तियों का राज्य की संचित निधि में जमा किया जाना

हरित ऊर्जा उपकर की प्राप्तियों, ब्याज और इस अधिनियम के अधीन वसूल किये गये जुर्माने को पहले राज्य की संचित निधि में जमा किया जायेगा तत्पश्चात् इस निमित्त विधि द्वारा निर्मित विनियोजन के अधीन उस में से संग्रह और वसूली के व्यय को घटाकर अनन्य रूप से इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु उपयोग के लिए हरित ऊर्जा निधि नाम से निधि में प्रविष्ट व अंतरित किया जाएगा।

6. हरित ऊर्जा निधि की स्थापना

(1) इस अधिनियम के उद्देश्य से "हरित ऊर्जा निधि" नाम से एक निधि की स्थापना की जायेगी।

(2) यह निधि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी और इस में निम्नलिखित राशि जमा की जायेगी -

(क) धारा 5 के अधीन प्राप्त की गई कोई धन राशि;

(ख) राज्य सरकार द्वारा किसी अनुदान के रूप में दी गई राशि।

7. निधि का उपयोग एवं प्रबंधन

(1) निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाएगा:-

(क) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के द्वारा विद्युत के उत्पादन को बढावा देने हेतु;

(ख) गैर-परम्परागत ऊर्जा के क्रय और आर०ई०सी०(नवीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्र) का क्रय करने हेतु;

(ग) राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु पहल करने के लिए;

(2) राज्य में ऊर्जा के नवीकरण और गैर-परम्परागत स्रोतों से उत्पादन के विकास, सुधार और विद्युत आपूर्ति के विकास हेतु, योजनाओं के निष्पादन के लिये, निधि को विस्तारित करने हेतु।

(3) राज्य सरकार के पास इस निधि के प्रशासन की शक्ति होगी तथा वह ऐसे निर्णय ले सकेगी, जो निधि के उचित उपयोग के लिये आवश्यकता हों।

(4) यदि राज्य सरकार आवश्यक समझे, अधिनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु उतरदायी संबंधित विभाग/अभिकरण के लिये, हरित ऊर्जा निधि से, राशि के आवंटन और संवितरण की शक्ति राज्य सरकार के पास होगी ।

8. उपकर प्राधिकारी

(1) इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु, राज्य सरकार संपूर्ण राज्य के लिये एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगी, जो हरित ऊर्जा उपकर का संग्रहकर्ता या निरीक्षक होगा। संग्रहकर्ता या निरीक्षक की सहायता के लिये ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, जो संग्रहकर्ता द्वारा प्रदत कार्यों के निष्पादन हेतु अधिनियम द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निष्पादन करेंगे ।

(2) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु, किसी ऐसे व्यक्तियों को संग्रहकर्ता या निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे, जो राज्य सरकार द्वारा उनको विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करेंगे।

9. उपकर प्राधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

(1) संग्रहकर्ता या निरीक्षक इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु:-

(क) ऐसी पुस्तकों या अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है, जो इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर की राशि को अभिनिश्चित या सत्यापित करने के लिये आवश्यक हो;

(ख) किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर जांच कर सकता है, जहां निम्नांकित उद्देश्य से विद्युत उत्पादन किया जा रहा हो या किये जाने का विश्वास हो -

(i) रखी गयी लेखा पुस्तकों में, दिये विवरण और जमा की गई लेखा विवरणी के सत्यापन हेतु;

(ii) निर्धारित तरीके से विभिन्न मीटरों और जनरेटर पैनलो को पढ़ने और परीक्षण करवाने के लिए;

(iii) उपकर के उद्ग्रहण के संबंध में, अपेक्षित विवरणों का सत्यापन।

(ग) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना, जो इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के उद्देश्य पूरा करने के लिये आवश्यक हों।

(घ) यदि कोई उत्पादक या वितरण लाईसेंस धारी (33 के.वी. या उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहें उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र, यथास्थिति ऐसी मांग का अनुपालन नहीं करता है या सत्य सूचना प्रदान नहीं करता है, तो उसे ऐसी परियोजना या भवन या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के संबंध में, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी निर्धारण पर आपत्ति करने से रोक दिया जायेगा।

(2) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन की गई सभी खोजें, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के आधार पर की जायेंगी।

10. लेखा पुस्तिका, विवरणी और निर्धारण

(1) ऐसी प्रत्येक वितरण लाईसेंस धारी या कैप्टीव उत्पादक संयत्र, जो धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (4) के अनुसार उपकर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार, विद्युत के सकल उत्पादन के अभिलेखन हेतु, मीटर संस्थापित करेगा तथा इसे निर्धारित तरीके से अनुरक्षित व प्रचालित रखा जायेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक उत्पादन कंपनी या कैप्टीव उत्पादक संयत्र, निर्धारित रूप में लेखा पुस्तिकायें रखेगी तथा निर्धारित प्रपत्र में, निर्धारित समय पर संग्रहकर्ता, उप निरीक्षक या उप प्राधिकारी के पास विवरणी जमा करेगी जिसमें उत्पादित विद्युत ऊर्जा की यूनिट, देय और भुगतान किये गये हरित ऊर्जा उपकर की राशि, उपयोग किया गया ईंधन तथा निर्धारित किये गये अन्य विवरण दर्शाये जायेंगे।

(3) वितरण लाईसेंस धारी निर्धारित प्रपत्र में झारखण्ड के सभी 33 के.वी. और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं (अपने कार्य क्षेत्र) की लेखा पुस्तिकायें रखेगा तथा निर्धारित प्रपत्र और निर्धारित समय पर संग्रहकर्ता या निरीक्षक के पास विवरणी जमा करेगा जिसमें राज्य में 33 के.वी. और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा यूनिटें, देय और भुगतान किये गये हरित ऊर्जा उपकर की राशि तथा निर्धारित किये गये अन्य विवरण दर्शाये जायेंगे।

11. स्वनिर्धारण

(1) इस अधिनियम के लागू होने पर प्रत्येक उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंस धारी (33 के.वी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र, जो इस अधिनियम के अधीन धारा 3 के अनुसार हरित ऊर्जा उपकर के भुगतान के उत्तरदायी हैं; इस प्रकार से स्वनिर्धारण करेंगे तथा भुगतान किये जाने वाली अवधि हेतु, विवरणी दाखिल करेंगे, जैसा कि अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) यथास्थिति प्रत्येक विद्युत उत्पादक कंपनी या विद्युत वितरण लाईसैंस धारी (33 के.वी. और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र, जो इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा निर्धारित उपकर की सम्पूर्ण राशि का भुगतान यथास्थिति संग्रहकर्ता या निरीक्षक को करेगा।

(3) यदि कोई उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसैंसधारी 33 के.वी. और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए, या कैप्टीव उत्पादक संयत्र जिसमें धारा 11 के उपधारा(1) के अधीन स्व निर्धारण किया है, अपने स्वनिर्धारण के बाद में कोई वास्तविक त्रुटि या चूक पाता है, तो वह उस त्रुटि या चूक को सुधार सकता है, यदि ऐसे सुधार के परिणामस्वरूप उपकर की राशि में मूल उपकर की राशि की अपेक्षा वृद्धि होती है, तो ऐसी अतिरिक्त उपकर की राशि का भुगतान उसके द्वारा किए गए सुधार की तिथि से तीस दिनों के भीतर किया जायेगा। यदि भुगतान किया गया उपकर, देय उपकर से अधिक है तो यथास्थिति कोई उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसैंसधारी (33 के.वी. और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र द्वारा संग्रहकर्ता या निरीक्षक को रिर्टन दाखिल करने पर, अतिरिक्त भुगतान की राशि प्रतिदेय होगी।

(4) विवरणी के सही होने का अभिनिश्चय करने की दृष्टि से, संग्रहकर्ता इस अधिनियम के अधीन उपकर का भुगतान करने की दायी, यथास्थिति उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसैंस धारी (33 के.वी. और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र द्वारा प्रस्तुत विवरणियों, दस्तावेजों या जानकारी की जाँच कर सकेगा।

(5) (क) जहाँ, धारा 11 की उपधारा(1) के अधीन विवरणी दाखिल करने के पश्चात्, यह पाया जाता है कि ऐसी विवरणी के आधार पर भुगतान किये गये किसी उपकर के समायोजन के पश्चात भी अतिरिक्त उपकर देय रहता है तो इस संबंध में ऐसे देय उपकर की राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए, संग्रहकर्ता द्वारा यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसैंस धारी(33 के.भी. और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र को सूचना भेजी जायेगी और सूचना को माँग नोटिस माना जायेगा।

(ख) धारा 11 के उपधारा (5) के खण्ड (क) में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, संग्रहकर्ता या निरीक्षक अपने स्वंय के प्रस्ताव या उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर, यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसैंस धारी (33 के.वी. और उससे अधिक पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक द्वारा देय हरित ऊर्जा उपकर का, अपने उत्कृष्ट निर्णय के अनुसार, निर्धारण कर सकेगा यदि:-

(i) उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसैंस धारी (33 के.वी. और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र, धारा 11 की उपधारा(1) के अधीन विवरणी दाखिल नहीं करती है, या

(ii) यह विश्वास करने का निश्चित कारण है कि यथास्थिति उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसैंसधारी(33 के.वी. और उससे अधिक लाईसैंसधारी पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र द्वारा धारा 11 की उपधारा(1) के अधीन दाखिल की गई विवरणी सही या पूर्ण नहीं है।

(ग) यदि धारा 11 के उपधारा(5) के खण्ड (ख) के अधीन, निर्धारण करने के पश्चात् संग्रहकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसैंसधारी(33 के०भी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र से उपकर देय हो गया है, तो वह देय उपकर की राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए, यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसैंसधारी(33 के०भी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र को सूचना भेजेगा जिसे मांग नोटिस माना जायेगा।

(घ) धारा 11 के उपधारा(5) के खण्ड (क) अथवा (ग) के अधीन, उपकर की राशि का भुगतान यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसैंसधारी (33 के०भी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र द्वारा, मांग नोटिस के जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर किया जायेगा।

बशर्ते यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसैंसधारी (33 के०भी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादन संयत्र को धारा 11 के उपधारा(5) के खण्ड (क) अथवा (ग) के अधीन हरित ऊर्जा उपकर की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने से पूर्व, उसे संग्रहकर्ता या निरीक्षक द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

(6) नोटिस, डिमान्ड नोटिस या इस अधिनियम के अधीन पारित कोई अन्य आदेश, उचित रूप से तामील किया माना जायेगा, यदि उसे निम्नलिखित में से किसी माध्यम में से उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसैंसधारी(33 के०भी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र के पता पर भेजा जाये -

(क) निबंधित डाक द्वारा; या

(ख) संग्रहकर्ता या निरीक्षक द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सुपुर्दगी; या

(ग) सम्बन्धित उत्पादक या उपभोक्ता के पास कुरीयर द्वारा सुपुर्दगी; या

(घ) ई-मेल द्वारा।

12. वसूली

(1) उपकर भुगतान हेतु दायी उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसैंसधारी(33 के०भी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादन संयंत्र द्वारा विहित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो उन्हें उपकर के भुगतान के साथ, ब्याज राशि का भी भुगतान करना होगा एवं ब्याज राशि की गणना निर्धारित देय तिथि के दूसरे दिन से भुगतान तिथि तक की जाएगी, जो साधारण ब्याज की दर से निर्धारित होगा, जो कि 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से अधिक नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन उपकर या ब्याज या जुर्माने के रूप में देय सभी राशियों का भुगतान, यदि निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो उसे बकाया माना जायेगा और उस पर उपकर के साथ ब्याज भी इस अधिनियम के तहत भारित किया जायेगा तथा वसूली योग्य होगा।

(3) जहाँ कोई उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी(33 के०भी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादक संयत्र, इस उपकर, जुर्माने या ब्याज के कारण किसी राशि का भुगतान करने का उत्तरदायी है, तथा वह देय से कम राशि का भुगतान करता है तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि को पहले ब्याज के भुगतान हेतु, उसके पश्चात् जुर्माना(यदि कुछ शेष है) और तत्पश्चात् उपकर(यदि कुछ शेष है), के अनुसार समायोजित किया जायेगा।

13. जुर्माना:-

यदि उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी(33 के०भी० और उससे अधिक वाल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादन संयत्र, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपकर का भुगतान नहीं करती है तो वह इस प्रकार देय उपकर के अतिरिक्त, प्रतिमाह 2%(दो प्रतिशत) की दर से जुर्माने का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

14. लेखा पुस्तिका संधारित नहीं होने पर जुर्माना

यदि कोई उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी(33 के०भी० और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादन संयत्र,

(क) लेखा पुस्तिका नहीं रखता है या इस अधिनियम के उपबन्धों या उनके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार विवरणी जमा नहीं करता है, या

(ख) झूठे लेखा-पंजियाँ या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या जानबूझ कर झूठी सूचना प्रस्तुत करता है, या

(ग) संग्रहकर्ता अथवा निरीक्षक को इस अध्यादेश के अधीन प्रदत शक्तियों के प्रयोग में जानबूझ कर रूकावट डालता है, या

(घ) इस धारा के खण्ड (क), (ख) अथवा (ग) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य के प्रचालन में, किसी व्यक्ति को सहायता करता है या दुष्प्रेरित करता है तो उसे दोष सिद्धि पर धारा 13 के अंतर्गत जुर्माना धारित कर दण्डित किया जाएगा।

15. मीटर से छेड़छाड़ करने पर जुर्माना

(1) जो कोई (उत्पादक कंपनी या कैप्टीव उत्पादन संयत्रं) बेईमानी से -

(क) मीटर से छेड़छाड़ करता है, छेड़छाड़ किये गये मीटर का उपयोग करता है, करेंट रिवर्सिंग ट्रांसफार्मर या लूप कनेक्शन का उपयोग करता है या किसी ऐसी अन्य युक्ति या तरीके का उपयोग करता है, जो विद्युत करेंट के सही-सही रजिस्ट्रेशन, कैलिब्रेशन या मीटरिंग में हस्तक्षेप करता हो या अन्यथा ऐसा परिणाम देता हो, जिससे उत्पादित विद्युत सही रूप से अंकित न होती हो; या

(ख) विद्युत मीटर, उपकरणों को क्षति पहुंचाता हो, नष्ट करता हो या इस अधिनियम के उद्देश्य से विद्युत की उचित या सही मीटरिंग और रिकार्डिंग में हस्तक्षेप के लिये उनमें से किसी को क्षति पहुंचाता या नष्ट करता हो; या

(ग) ऐसे साधनों का उपयोग करे, जिनसे उत्पादित विद्युत की सही रीडिंग में व्यवधान होता हो, पर जुर्माना लगाया जायेगा, जो कि प्रथम बार पकड़े जाने पर, इस प्रकार प्राप्त न्यूनतम वित्तीय लाभ के बराबर होगा तथा दूसरी बार और उससे आगे पकड़े जाने पर जुर्माना, इस उल्लंघन से प्राप्त वित्तीय लाभ के दोगुने से कम नहीं होगा।

(2) ऐसे वित्तीय लाभ की गणना के लिये यह माना जायेगा कि ऐसी उत्पादक कंपनी या कैप्टीव उत्पादन संयत्र लगातार निम्नलिखित अवधि से उत्पादन कर रही है -

(क) 10 मेगावाट से कम कुल संस्थापित क्षमता के मामले में एक वर्ष;

(ख) अन्य मामले में 2 वर्ष,

निरीक्षण या पकड़े जाने, जो पहले हो, की तिथि के ठीक पहले जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध न हो जाये। यह भी मान लिया जायेगा कि ऐसी उत्पादक कंपनी या कैप्टीव उत्पादन संयत्र, इस पूर्ण अवधि के दौरान, अपनी पूर्ण संस्थापित क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन कर रही थी।

16. सील करने की शक्ति:-

यदि उत्पादक कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी(33 के०भी० और उससे अधिक पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादन संयत्र द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय उपकर और जुर्माने का भुगतान डिमान्ड नोटिस जारी किये जाने की तिथि से 60 दिन के अंदर नहीं किया जाता है तो संग्रहकर्ता या निरीक्षक परियोजना अथवा भवन अथवा संस्थान को सील करेगा। उपकर तथा जुर्माने की वसूली होने तक सीलिंग प्रभावी रहेगी।

17. जुर्माना लगाने के लिये सक्षम अधिकारी:-

इस अधिनियम के अधीन जुर्माना लगाने के लिये संग्रहकर्ता या निरीक्षक सक्षम प्राधिकारी होंगे। तथापि किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को सुनवाई का अवसर दिये बगैर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

18. अपील

(1) धारा 11, 12, 13, 14, 15 और 16 के अधीन संग्रहकर्ता या निरीक्षक के निर्णय से व्यथित, कोई उत्पादन कंपनी या वितरण लाईसेंसधारी(33 के०भी० और उससे अधिक वाल्टेज स्तर पर परिचालन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए) या कैप्टीव उत्पादन संयत्र, राज्य सरकार द्वारा नामित अपील प्राधिकारी के पास निर्णय की तिथि से साठ दिन के भीतर अपील कर सकेगा।

परन्तु धारा 16 के अधीन, निर्धारण के आदेश के विरूद्ध, किसी अपील पर, राज्य सरकार द्वारा तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि जिस संबंध में अपील की गई है, उस संबंध में संग्रहकर्ता द्वारा भुगतान किये जाने के लिये निर्देशित पचास प्रतिशत उपकर के भुगतान का संतोषजनक प्रमाण, अपील के साथ न लगाया गया हो।

अपील प्राधिकारी, अपीलकर्ता तथा उपकर प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, लिखित में कारण अभिलिखित कर, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे एवं अपील प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार पारित आदेश अंतिम होगा, जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित न किया जाये।

(2) जहां संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारियों के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है, वहां राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या अन्यथा संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्रधिकारियों द्वारा पारित किसी आदेश की तिथि से एक वर्ष के भीतर, किसी निर्णय या आदेश की वैधता और औचित्य तथा संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारियों की कार्यवाहियों की नियमितता की संतुष्टि के उद्देश्य से, कार्यवाहियों के अभिलेख मँगा सकेगी और उनकी जाँच कर सकेगी तथा उन पर आदेश पारित कर सकेगी जैसे वह उचित समझे। अपने कार्यों के निष्पादन में, अपील प्राधिकारी के पास व्यवहार न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(3) अपील या पुनर्विलोकन में, राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में, इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा।

19. अन्य देयता का जुर्माने से प्रभावित न होना:-

इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माना, किसी अन्य अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के संबंध में अधिरोपित जुर्माना के अतिरिक्त होगा तथा किसी अपराध या देयताओं के अल्पीकरण में नहीं होगा।

20. अधिकारी एवं कर्मचारी लोक सेवक होंगे:-

इस अधिनियम के अधीन नियुक्त संग्रहकर्ता, निरीक्षक तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक माने जायेंगे।

21. वाद वर्जन:-

इस अधिनियम के उपबंधों या उनके अधीन निर्मित किन्हीं नियमों के अनुशरण में किये गये या किये जाने के लिये, आशायित सद्भाव में किये गये किसी कार्य के लिये, इस अधिनियम के अधीन संग्रहकर्ता या निरीक्षक के विरूद्ध वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

22. अधिकारिता पर रोक:-

उस संबंध में किसी दीवानी न्यायालय की किसी प्रकार की अधिकारिता नहीं होगी, जिस में इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार या कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी इसका संज्ञान लेने व इसके निपटारे के लिये सक्षम किया गया है तथा जिस तरीके से, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी उसमें विहित शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।

23. नियम

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सामान्य रूप से नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित में से किसी या सभी मामलों के लिये नियम या उपबंध कर सकेंगे:-

(क) धारा 3 के अधीन उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का तरीका और दर;

(ख) धारा 9 के अधीन, उपकर प्राधिकारियों की अन्य शक्तियां और कर्तव्य;

(ग) लेखा पुस्तिकायें और विवरणी रखने का तरीका और रूप तथा धारा 10 के अधीन विवरणी जमा करना;

(घ) संग्रहकर्ता या निरीक्षक द्वारा अंकेक्षण और सत्यापन करने का तरीका;

(ड) धारा 12 के अधीन देय साधारण ब्याज की दर;

(च) धारा 4 के तहत पंजीकरण अवधि और प्रपत्र,

(छ) धारा 4 के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र।

(ज) ऐसे अन्य मामले, जो इस अधिनियम के अधीन विदित किये जायें या किये जा सकेंगे।

(3) इस धारा के अधीन निर्मित नियम, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन, सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे;

परन्तु यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिसके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह इस धारा के अधीन बनाये जाने वाले नियम के लिये, पूर्व प्रकाशन के प्रावधान को अभिमुक्त कर सकती है।

(4) इस धारा के अधीन निर्मित सभी नियम, निर्मित होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे।

(5) राज्य विधान सभा द्वारा किया गया कोई विखण्डन या परिवर्तन सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा और तत्पश्चात प्रभावी होगा।

24. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति:-

यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में सामान्य या विशेष आदेश प्रकाशित कर, ऐसे उपबंध बना सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों तथा कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

यह विधेयक झारखण्ड हरित उर्जा उपकर विधेयक, 2021 दिनांक-22 मार्च, 2021 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक - 22 मार्च, 2021 को सभा द्वारा पारित हुआ |

यह एक धन विधेयक है |

(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्ष |

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 2—50—6-4-2021